न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–पुनासा, जिला–खंडवा

प्रकरण क्रमांक 14/अ–2/2018–2019

मौजा – ग्राम मोरधडी तहसील पुनासा

श्री गिरधारीलाल पिता हिरालाल निवासी ग्राम वार्ड कं–7 सनावद तह. सनावाद जिला खरगोन

.... आवेदक

–विरूद्ध–

म.प्र. शासन

।। आदेश ।।

(पारित दिनॉक 29–6–2019)

आवेदक श्री गिरधारीलाल पिता हिरालाल निवासी ग्राम वार्ड कं–7 सनावद तह. सनावाद जिला खरगोन द्वारा ग्राम **मोरधडी** स्थित स्वयं की मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 **514 रकबा 0.59है, अर्थात 5900वगमीटर, ख.न. 515 रकबा 1.84है. क्षेत्रफल 18400 वर्गमीटर भूमि** का व्यपवर्तन **''व्यवसायिक होटल रिसोर्ट निर्माण प्रयोजन''** हेतु किया गया हैं, हल्का पटवारी द्वारा संशोधीत भू–राजस्व अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत धारा 59 के अंतर्गत भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित कर प्रिमियम राशि––72900–00, भू–भाटक 24300–00, पंचायत उपकर राशि– 12150–00 चालान कंमांक 00292230 को दिनांक 8/05/2019 से जमा कराई जाकर चालान की प्रति के साथ आवेदन पत्र के साथ भू–अधिकार पुस्तिका छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी–1, प्रति आदि दस्तावेज संलग्न पेश कर व्यपवर्तन अनुमोदित किये जाने का निवेदन किया हे।

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन भूमि ग्राम **पुनासा** स्थित स्वयं की मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 **514 रकबा 0.59है, अर्थात 5900वगमीटर, ख.न. 515 रकबा 1.84है. क्षेत्रफल 18400 वर्गमीटर भूमि** का व्यपवर्तन **''व्यवसायिक होटल रिसोर्ट निर्माण प्रयोजन''** हेतु भूमि पर पुर्ननिर्धारण उपरांत जमा किये गये चालानों की राशि का सत्यापन राजस्व निरीक्षक के कराया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया गया व्यपवर्तन एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्धारित राशि नियमानुसार सही जमा की गई हे। जमा राशि एवं निर्धारित की गई राशि में कोई अंतर नहीं हैं, प्रतिवेदित भूमि खसरा नं0 **514 रकबा 0.59है, अर्थात 5900वगमीटर**, ख.न. **515 रकबा 1.84है क्षेत्रफल 18400 वर्गमीटर भूमि** का व्यपवर्तन **''व्यवसायिक होटल रिसोर्ट निर्माण प्रयोजन''** हेत भूमि का व्यपवर्तन धारा–59 में निर्धारण करते हुये अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर आवेदित भूमि के स्वनिर्धारण कर परिवर्तित रेंट एवं प्रिमियम राशि पंचायत उपकर जमा किये गये हें। जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक से कराते हुये प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आवेदक श्री गिरधारीलाल पिता हिरालाल निवासी ग्राम वार्ड कं–7 सनावद तह. सनावाद जिला खरगोन स्थित स्वयं की मालकी एवं कब्जे खसरा नं0 **514 रकबा 0.59है, अर्थात 5900 वगमीटर, ख.न. 515 रकबा 1.84है. क्षेत्रफल 18400 वर्गमीटर भूमि** का व्यपवर्तन **''व्यवसायिक होटल रिसोर्ट निर्माण प्रयोजन''** हेतु संशोधित भू–राजस्व अधिनियम 2018 की धारा 59 के अंतर्गत के प्रावधानों के तहत आवेदक द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित प्रिमियम राशि–72900–00, भू–भाटक 24300–00, पंचायत उपकर राशि–12150–00 चालान कंमांक 00292230 को दिनांक 8/05/2019 से जमा कराई। आवेदक द्वारा किया गया निर्धारण नियमानुसार सही हे। आवेदित भूमि विकास योजना के अंतर्गत नहीं हे, भूमि ग्राम पंचायत मोरघडी प.ह.न. 2 के अंतर्गत स्थित हैं।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग–पुनासा

अतः म.प्र. भू–रा. संहिता 2018 की धारा 59 के अंतर्गत आवेदक की भूमि ग्राम मोरधडी स्थित स्वयं की मालकी एवं कब्जे खसरा नं0 **514 रकबा 0.59है, अर्थात 5900 वर्गमीटर, ख.न. 515 रकबा 1.84है. क्षेत्रफल 18400 वर्गमीटर भूमि** का व्यपवर्तन **"व्यवसायिक होटल रिर्सोट निर्माण प्रयोजन"** हेतु व्यपवर्तन अनुमोदित किया जाकर परिवर्तित रेंट प्रिमियम का पुर्ननिर्धारण प्रिमियम राशि– 72900–00, परिवर्तित रेंट–24300–00 रू. पंचायत उपकर– 12150–00 अनुमोदित किया जाकर व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता है।

यह आदेश आज दिनॉक 22–6–2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया।

(डॉ. ममता खेडे)
अनुविभागीय अधिकारी,(रा)
अनुभाग–पुनासा

पृष्ठां0कं0क / री–अ0वि0अ0 / 2019 पुनासा, दिनॉक 22–6–2019

प्रतिलिपी–

1– तहसीलदार ,तहसील–पुनासा / सहा0अधी0 परिवर्तित शाखा,खंडवा
2– पटवारी, ग्राम मोरधडी तह0 पुनासा द्वारा–राजस्व निरीक्षक, मंडल मांधाता
3– ग्राम पंचायत मोरधडी तह. पुनासा की ओर सूचनार्थ ।
4– आवेदक, श्री गिरधारीलाल पिता हिरालाल निवासी ग्राम वार्ड कं–7 सनावद तह. सनावाद जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी,(रा)
अनुभाग–पुनासा